परिशिष्ट – 1

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन,राजमहल पैलेस के पीछे

क्रमांक एफ 7(2)( )राछा/साव्याअवि/13 6203 जयपुर, दिनांक 25/04/13

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2013-14 की घोषणा संख्या 85 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय एवं महाविद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की मैस भत्ते की राशि 1250/- प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह को बढ़ाकर 1750/- प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह करने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैं।

बढ़ी हुई दरें शैक्षणिक सत्र 2013-14 से लागू होगी तथा प्रति शैक्षणिक सत्र के लिए मैस भत्ते की राशि अधिकतम 9½ माह हेतु देय होगी। बढ़ी हुई दरों का मदवार विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	नाम मद	संशोधित राशि (प्रति माह)	प्रतिसत्र 9½ माह हेतु नियत राशि
1.	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन	1250	11875
2.	स्कूल यूनिफॉर्म मय सिलाई, (दो ड्रैसेज) जूते-मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी	200	1900
3.	सिर पर लगाने का तैल, नहाने एवं कपडे धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	60	570
4.	चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस आदि की धुलाई	40	380
5.	बिजली-पानी	140	1330
6.	समाचार पत्र, पत्रिकाये आदि	20	190
7.	छात्रावास की साफ सफाई	40	380
	योग :-	1750	16625

स्कूल यूनिफॉर्म, गर्म जर्सी, जूते-मोजे, तौलिये हेतु दी जाने वाली राशि 1900/- प्रति विद्यार्थी प्रति सत्र एक मुश्त छात्रावास की प्रथम किश्त के साथ ही उपलब्ध कराई जावेगी। ताकि विद्यार्थियों को सत्र के आरम्भ में ही यूनिफॉर्म आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बढ़ी हुई राशि का उपयोग मदवार किया जावेगा। मद विशेष में बचत रहने पर उस मद राशि का उपयोग अन्य मदों में मैस समिति की बैठक में निर्णय लेकर किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी स्थिति में कुल व्यय राशि प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1750/- एवं प्रति सत्र 16625/- से अधिक नहीं होगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 161300552 दिनांक 29.03.2013 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती हैं।

प्रमुख शासन. सचिव
24/4/13

e-mail:sjeraj_hostel@yahoo.co Tele.No. 0141-2220258, 0141-2220336/

क्रमांक एफ 7(2)( )राछा/सान्याअवि/13 6204-85 जयपुर, दिनांक 25/4/13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव (आयोजना) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....।
10. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) मुख्यावास।
12. अतिरिक्त निदेशक (अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण)
13. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बढ़ी हुई दरों के अनुसार आवासीय विद्यार्थियों को गुणात्मक सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करावे।
14. लेखाकार (बजट)/ऑडिट, मुख्यावास
15. गार्ड फाईल

22.4.13

आयुक्त

e-mail:sjeraj_hostel@yahoo.co Tele.No. 0141-2220258, 0141-2220336/ 2226641(Fax)